2094/25

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

नन्दी देवी बनाम सरकार

प्रकरण संख्या :– 16/2024 ~~2023~~

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	07/02/2024 ~~13/02/2024~~	पत्रावली तहसीलदार आमेर के पत्रांक मु.अ./2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा प्रस्ताव मय गोविंद के मार्फत प्राप्त हुआ। प्रार्थी पक्ष उपस्थित होवे। नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दि. 13/02/2024 पेश हो। उप खण्ड अधिकारी आमेर जयपुर	
	13/02/2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के आधार पर न्याय हित में स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल हुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी आमेर जयपुर	नन्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :– 16 / 2024
जीसीएमएस नं0 :– 2024 / 25
उनवान :– नंछी देवी बनाम सरकार

::– आदेश –::

दिनांकः 13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा0पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम अरनिया की जमाबंदी के खाता संख्या 190 एवं ग्राम कवंरपुरा की जमाबंदी के खाता संख्या 115 में नंछू देवी के स्थान पर नंछी देवी शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

C:\Users\TDR\Downloads\136.docx